परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-3

सं0-1887/37-3-67/नि0का0वि0/1973

दिनांक लखनऊ, 4 जून 1973

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार की राय में भूमि के अव्यवस्थित वितरण भवनों के अनियोजित निर्माण या निम्न स्तर के उप निवेशों की बढ़ती को रोकने के लिए और उपयुक्त योजना के अनुसार इस क्षेत्र का विकास और विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र का उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1958) के अधीन विनियमन अपेक्षित है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्रों को विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं :-

कौसानी-ल्वेशाल विनियमित क्षेत्र

जिला अल्मोड़ा में ग्राम कौसानी एवं ल्वेशाल में आने वाला क्षेत्र

संख्या 1887(1)/37-3-67 नि0का0वि0/73

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1958) की धारा 2 के खण्ड (छ) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से परगनाधिकारी, अल्मोड़ा को अल्मोड़ा जिले में कौसानी-ल्वेशाल विनियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1387/37-3-67/नि0का0वि0/73 दिनांक 4 जून 1973 द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किया गया है नियत प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

संख्या 1887/(11)/37-3-67 नि0का0वि0/73

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34-1958) की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिला अल्मोड़ा में कौसानी-ल्वेशाल वि0क्षे0 के लिये जिसे सरकारी अधिसूचना संख्या 1807/37-3-67 नि0का0वि0/73 दिनांक 4 जून 1973 द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किया गया है नियंत्रक प्राधिकारी संघटित करते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है।

नियंत्रक प्राधिकारी

क- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल — अध्यक्ष

ख- राज्य सरकार के नामांकी

1- अध्यक्ष जिला परिषद, अल्मोड़ा
2- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
3- अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0 अल्मोड़ा
4- अधिशासी अभियन्ता, स्वायत्त शासन

(6) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, या विशेष परिस्थितियों में उसका नामांकी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न पद का न हो । — सदस्य

(7) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश या विशेष परिस्थितियों में उसका नामांकी जो सहयुक्त नियोजक से निम्न पद का न हो । — सदस्य

(8) प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, या विशेष परिस्थितियों में उसका नामांकी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न पद का न हो । — सदस्य

(9) मुख्य अरण्यपाल या विशेष परिस्थितियों में उसका नामांकी जो उप मुख्य अरण्यपाल से निम्न पद का न हो । — सदस्य

आज्ञा से,

योगेश कुमार वर्मा
संयुक्त सचिव ।